



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30032026-271433
CG-DL-E-30032026-271433

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1597]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 30, 2026/चैत्र 9, 1948

No. 1597]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 30, 2026/CHAITRA 9, 1948

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)
(वित्तीय बाजार प्रभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2026

का.आ. 1662(अ).— केंद्र सरकार, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 (2019 का 50) की धारा 5 की उप-धारा (1) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग की दिनांक 24 जुलाई, 2020 की अधिसूचना संख्या एस.ओ. 2435 (ई) में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त प्रमुख अधिसूचना में, क्रम सं. 2 के सामने, मौजूदा प्रविष्टि के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“सुश्री अपर्णा सिन्हा,

सलाहकार,

वित्त मंत्रालय,

आर्थिक कार्य विभाग,

भारत सरकार.....सदस्य”

[फा. सं. 4/1/2020-आरई-पार्ट (1)]

डॉ. आलोक तिवारी, संयुक्त सचिव

